

राजस्थान सरकार  
न्यायालय अति० जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 132/2020 - निगरानी

1. श्रीमती जमनी पत्नी बालु कीर  
निवासी-कीरो का खेडा (आरजिया)  
मृतक के बजाय

बनाम

1. श्री दशरथ सिंह पिता शंभु सिंह चौहान  
निवासी-कीरो का खेडा (आरजिया) तह० व  
जिला भीलवाडा।
2. ग्राम पंचायत आरजिया जरिये सरपंच ग्राम  
पंचायत आरजिया तह. भीलवाडा पंचायत समिति  
सुवाणा जिला भीलवाडा।
3. उपपंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग  
भीलवाडा।

1. श्रीमती लादी पुत्री बालू कीर पत्नी  
जमना कीर निवासी मेजा
2. श्रीमती घीसी पुत्री बालू कीर पत्नी  
भैरू कीर निवासी मेजा
3. श्रीमती गणी पुत्री बालू कीर पत्नी  
शंकर लाल कीर निवासी बालाजी  
का खेडा, सांगानेर तह० व जिला  
भीलवाडा।

-निगराकार

- गैर निगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश गैर निगराकार सं. 02 बप्रकरण पत्रावली सं. 45 संवत् 2062  
दिनांकित 22.03.2006 निगरानी अंतर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम

उपस्थित -

1. श्री कैलाश राव अधिवक्ता - निगराकार की ओर से
2. श्री आर.सी. सारस्वत अधिवक्ता - गैर निगराकार सं. 01 की ओर से



### निर्णय

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगराकार के नाम पर एक बापी पट्टा दिनांक 31.03.2004 को गैर निगराकार सं. 02 को विधिवत नजराना देकर जारी किया गया जो गैर निगराकार सं. 02 के रोकड पाने नं. 1830 दिनांकित 31.03.2004 को निगराकार द्वारा 201/- रूपये जमा कराये और निगराकार को भूखण्ड का कब्जा दे दिया गया था और भूखण्ड के पडोस पूर्व में पंचायत आबादी भूखण्ड सं. 13 व 16, पश्चिम में देबी पिता बालु कीर उत्तर में आम रास्ता, भदाली खेडा से आरजिया दक्षिण में कॉलोनी की सडक की नपती पूर्व में 100 फीट पश्चिम में 100 फीट उत्तर 50 फीट दक्षिण में 50 फीट उक्त भूखण्ड उपरोक्त पडोसन के मध्य में स्थित है और निगराकार के भूखण्ड की पत्रावली गैर निगराकार सं. 02 के कार्यालय में बपत्रावली क्रमांक 42 संवत् 2007 दिनांकित 10.01.2004 कायम हुई और निगराकार का पट्टा विधिवत जारी हुआ। गैर निगराकार सं. 01 निगराकार के भूखण्ड को हडपना चाहता है। इस दुराशय से गैर निगराकार सं. 01 व 02 ने मिलीभगत कर एक कुटरचित फर्जी पट्टा तैयार कर उसका पंजीयन गैर निगराकार सं. 03 के यहां करा लिया और निगराकार के पट्टे की जगह पर पडासेन बदलकर नपती कम करते हुये पट्टे पर पट्टा कुटरचित तरीके से जारी करवा लिये। ना तो तथाकथित पट्टे की कोई पत्रावली गैर निगराकार

दिनांक 12-1-2021

सं. 02 के कार्यालय में मौजूद है ना ही रोकड बही में कोई राशि जमा है। गैर निगराकार सं. 01 व 02 द्वारा ने उक्त तथाकथित फर्जी पट्टा तैयार किया जिसकी प्राथमिकी पुलिस थाना माण्डल में दर्ज है गैर निगराकार सं. 01 व 02 ने उक्त तथाकथित पट्टे को नियमानुसार जारी होना बताकर उसका पंजीयन गैर निगराकार सं. 03 के कार्यालय में भी करा दिया। निगराकार ने अपने अधिवक्ता के जरिये सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उक्त तथाकथित पट्टे की प्रमाणित पट्टे की प्रमाणित प्रति चाही गई और प्रमाणित प्रति प्राप्त करने बाबत निगराकार के अधिवक्ता ने विधिवत शुल्क अदा कर दिनांक 21.12.2015 को गैर निगराकार सं. 02 को आवेदन प्रस्तुत किया था किंतु गैर निगराकार सं. 02 ने निगराकार के अधिवक्ता से शुल्क ले लेने के पश्चात् भी प्रमाणित प्रति नहीं दी। तब निगराकार ने एक आपराधिक मुकदमा पुलिस थाना माण्डल में दर्ज कराया जो जैर कार्यवाही है और पुलिस थाना माण्डल गैर निगराकार सं. 01 ने उक्त तथाकथित पट्टे की पत्रावली फोटो कॉपी के रूप में निगराकार को दी जिससे निगराकार की जानकारी में आया कि गैर निगराकार सं. 01 व 02 ने निगराकार के भूखण्ड का पट्टा बना हुआ है उस पट्टे की जगह का पट्टा तोड़ मोडकर साक्ष्य विलोपित कर प्रशासन को गुमराह करने की दुराशय से और पट्टा जारी कर लिया और उक्त तथाकथित पट्टे की फोटो प्रति निगराकार को और गैर निगराकार सं. 01 से ही प्राप्त हुई है। निगराकार के पट्टे में वर्णित भूमि जहां पर निगराकार काबिज है और निगराकार के आधिपत्य एवं स्वामित्व में है वह भूमि 100 बाई 50 है और निगराकार के भूखण्ड से सटकर एक भूखण्ड और स्थित है, जिसकी नपती भी 100 बाई 50 है। गैर निगराकार सं. 01 ने उक्त दोनों भूखण्डों की जगह के नाप को तोड़ मरोडकर गैर निगराकार सं. 01 व 02 ने उक्त भूमि को तीन भूखण्डों के रूप में बनाकर तीन पट्टे कुटरचित रूप से जारी करा लिये है, ताकि अलग रूप से उक्त पट्टे दिख सके जबकि उक्त तीन ही पट्टे निगराकार व निगराकार के पास स्थित भूखण्ड की जगह के है, जिनके पट्टे पूर्वतौर में जारी है। उक्त तथाकथित आदेश गैर निगराकार सं. 02 का जो गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी है जो निरस्त योग्य है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार सं. 02 का विधि विरुद्ध आदेश निरस्त किया जाकर उक्त तथाकथित पट्टा व उसका पंजीयन निरस्त किया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 01.07.2016 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 01.07.2020 को देने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 12 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि निगराकार के नाम पर एक बापी पट्टा दिनांक 31.03.2004 को गैर निगराकार सं. 02 को विधिवत नजराना देकर जारी किया गया जो गैर निगराकार सं. 02 के रोकड पाने नं. 1830 दिनांकित 31.03.2004 को निगराकार द्वारा 201/- रूपये जमा कराये और निगराकार को भूखण्ड का कब्जा दे दिया गया था और भूखण्ड के पडोस पूर्व में पंचायत आबादी भूखण्ड सं. 13 व 16, पश्चिम में देबी पिता



बालु कीर उत्तर में आम रास्ता, भदाली खेडा से आरजिया दक्षिण में कॉलोनी की सडक की नपती पूर्व में 100 फीट पश्चिम में 100 फीट उत्तर 50 फीट दक्षिण में 50 फीट उक्त भूखण्ड उपरोक्त पडौसन के मध्य में स्थित है और निगराकार के भूखण्ड की पत्रावली गैर निगराकार सं. 02 के कार्यालय में बपत्रावली क्रमांक 42 संवत् 2007 दिनांकित 10.01.2004 कायम हुई और निगराकार का पट्टा विधिवत जारी हुआ। गैर निगराकार सं. 01 निगराकार के भूखण्ड को हडपना चाहता है इस दुराशय से गैर निगराकार सं. 01 व 02 ने मिलीभगत कर एक कुटरचित फर्जी पट्टा तैयार कर उसका पंजीयन गैर निगराकार सं. 03 के यहां करा लिया और निगराकार के पट्टे की जगह पर पडासेन बदलकर नपती कम करते हुये पट्टे पर पट्टा कुटरचित तरीके से जारी करवा लिये। ना तो तथाकथित पट्टे की कोई पत्रावली गैर निगराकार सं. 02 के कार्यालय में मौजूद है ना ही रोकड बही में कोई राशि जमा है। गैर निगराकार सं. 01 व 02 द्वारा ने उक्त तथाकथित फर्जी पट्टा तैयार किया जिसकी प्राथमिकी पुलिस थाना माण्डल में दर्ज है गैर निगराकार सं. 01 व 02 ने उक्त तथाकथित पट्टे को नियमानुसार जारी होना बताकर उसका पंजीयन गैर निगराकार सं. 03 के कार्यालय में भी करा दिया। निगराकार के पट्टे में वर्णित भूमि जहां पर निगराकार काबिज है और निगराकार के आधिपत्य एवं स्वामित्व में है वह भूमि 100 बाई 50 है और निगराकार के भूखण्ड से सटकर एक भूखण्ड और स्थित है, जिसकी नपती भी 100 बाई 50 है। गैर निगराकार सं. 01 ने उक्त दोनों भूखण्डों की जगह के नाप को तोड मरोडकर गैर निगराकार सं. 01 व 02 ने उक्त भूमि को तीन भूखण्डों के रूप में बनाकर तीन पट्टे कुटरचित रूप से जारी करा लिये है, ताकि अलग रूप से उक्त पट्टे दिख सके जबकि उक्त तीन ही पट्टे निगराकार व निगराकार के पास स्थित भूखण्ड की जगह के है, जिनके पट्टे पूर्वतौर में जारी है। उक्त तथाकथित आदेश गैर निगराकार सं. 02 का जो गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी है जो निरस्त योग्य है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार सं. 02 का विधि विरुद्ध आदेश निरस्त किया जाकर उक्त तथाकथित पट्टा व उसका पंजीयन निरस्त किया जावें।

गैर निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त निगरानी प्रकरण में गैर निगराकार सं. 01 की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 23.08.2016 को पेश किया गया। जिसमें अंकित किया गया कि निगराकार व्यथित पक्षकार होने से यह निगरानी पेश की हैं, चूंकि निगरानी व्यथित पक्षकार द्वारा पेश किये जाने के प्रावधान हैं और उक्त पत्रावली संख्या 42 जिसके तहत निगराकार को पट्टा जारी हुआ है वह पत्रावली भी इस प्रकरण में तलब किये जाना आवश्यक होकर निगराकार को जारी किया गया पट्टा नियमानुसार है या नहीं का निर्धारण आवश्यक है। उक्त निगरानी में निगराकार की पत्रावली संख्या 42 संवत् 2059 को तलब कर उसका परीक्षण किया जाना इस कारण भी आवश्यक है कि इस बाबत फौजदारी प्रथम सूचना रिपोर्ट 34/2015 दिनांक 04.02.2016 में अंतिम रिपोर्ट दिनांक 22.04.2016 में तत्कालीन सरपंच मगनी देवी जिसके द्वारा पट्टा जारी किया जाना बताया गया है उसने पट्टा जारी करने से मना किया है। निगराकार ने निगरानी में अंकित किया कि आलौच्य पट्टे की कोई पत्रावली गैर निगराकार सं. 02 के कार्यालय में मौजूद नहीं है और न ही रोकड बही में कोई राशि जमा हैं। चूंकि निगरानी के प्रावधान धारा 97 मे स्पष्ट रूप से वर्णित हैं कि पंचायत के अभिलेख में पारित किसी विनिश्चय या आदेश का परीक्षण के लिये अभिलेख मंगा कर उसकी परीक्षा की जायेगी। चूंकि बकोल निगराकार पत्रावली मौजूद नहीं है, ऐसी स्थिति में धारा 97 के तहत निगरानी प्रथम दृष्टया न्यायालय के क्षेत्राधिकार के योग्य नहीं है तथा



राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 के तहत अपील के प्रावधान उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में बिना अभिलेख के विचाराधीन निगरानी चलने योग्य नहीं होकर इस स्टेज पर बिना गुणावगुण पर खारिज योग्य है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी अभिलेख के अभाव में व निगराकार के व्यथित पक्षकार न होने के आधार पर खारिज योग्य है।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। निगराकार ने गैर निगराकार सं. 01 को निगराकार की पट्टेशुदा व निगराकार के पास स्थित भूखण्ड की जगह जिस पर पूर्वतोर जारी पट्टे की आराजी पर नया पट्टा जारी कर दिया गया जिसे निरस्त करने की प्रार्थना की है। 157 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 इस प्रकार हैं – (22.03.2006 को प्रभावशील)

**पुराने गृहों का विनियमतीकरण –**

1. जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक हैं वहाँ उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23-क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा।

(क) 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु 100/-रूपये

(ख) इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षों के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200/-रूपये

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सूची में सम्मिलित परिवार के लिये खण्ड (क) के अन्तर्गत कोई राशि देय नहीं होगी तथा खण्ड (ख) के अन्तर्गत कुल देय राशि का 10 प्रतिशत देय होगा।

2. ऐसे परिवार, जिनका कोई मकान नहीं हो या किसी भी स्थान पर मकान स्थल नहीं हो, और वर्ष 2003 तक झोपडी/कच्चा मकान का निर्माण करते हुए आबादी भूमि के कब्जे में हो 300 यार्ड तक अधिकतम कब्जा निःशुल्क विनियमितीकरण के लिए हकदार होंगे।

निगरानी में प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत आरजिया ने गैर निगराकार संख्या 01 के नाम पर पत्रावली संख्या 45 सवत् 2062 में क्षेत्रफल 80 बाई 30 वर्गफीट का बापी पट्टा 200/-रूपये जमा कर दिनांक 22.03.2006 को जारी किया गया। निगराकार ने निगरानी में गैर निगराकार संख्या 01 के नाम पर 100 बाई 50 फीट यानि 5000 वर्गफीट का जारी करना अंकित किया है। इस प्रकार निगराकार की निगरानी में अंकित क्षेत्रफल व दस्तावेज में अंकित क्षेत्रफल में तफावत है। निगराकार की निगरानी में प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार निगरानी में अंकित बापी पट्टा के क्षेत्रफल व दस्तावेज में अंकित क्षेत्रफल में भिन्नता होने से एवं ग्राम पंचायत आरजिया की पत्रावली संख्या 42 सवत् 2060 दिनांक 10.01.2004 की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गयी।

निगराकार ने निगरानी में गैर निगराकार संख्या 01 के विरुद्ध श्रीमती जमनी कीर ने पुलिस थाना माण्डल में प्र.सू. रि.सं. 34/15 दिनांक 04.02.16 दर्ज होकर तफतीश से मामला एफ आर अदम वकू सिविल नेचर का पाया जाना अंकित किया है एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट माण्डल के प्रकरण संख्या 34/16 सरकार बनाम भगवान सिंह के दर्ज प्रकरण संबंधी दस्तावेज की फोटोप्रति निगरानी के साथ प्रस्तुत की है, लेकिन वर्तमान में उक्त प्रकरण के लम्बित होने एवं निर्णित होने के दस्तावेज की प्रमाणित प्रस्तुत नहीं की है।



+

निगराकार ने अपनी निगरानी में अंकित किया है कि निगराकार के नाम पर एक बापी पट्टा दिनांक 31.03.2004 को गैर निगराकार सं. 02 को विधिवत नजराना देकर जारी किया गया जो गैर निगराकार सं. 02 के रोकड पाने नं. 1830 दिनांकित 31.03.2004 को निगराकार द्वारा 201/- रुपये जमा कराये और निगराकार को भूखण्ड का कब्जा दे दिया गया तथा निगराकार के भूखण्ड की पत्रावली गैर निगराकार सं. 02 के कार्यालय में बपत्रावली क्रमांक 42 संवत् 2007 दिनांकित 10.01.2004 कायम हुई और निगराकार का पट्टा विधिवत जारी हुआ। किन्तु गैर निगराकार संख्या 02 ने पत्रावली संख्या 45 संवत् 2062 दिनांक 22.03.2006 से गैर निगराकार संख्या 01 को कूटरचित तरीके से उक्त पट्टा जारी कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य हैं।

निगराकार ने ग्राम पंचायत आरजिया की पत्रावली संख्या 42 संवत् 2007 दिनांकित 10.01.2004 एवं पत्रावली संख्या 45 संवत् 2062 दिनांकित 22.03.2006 की प्रमाणित प्रति भी पेश नहीं की हैं एवं ग्राम पंचायत आरजिया पंचायत समिति सुवाणा जिला भीलवाडा ने अपने पत्रांक/ग्रा.पं.आ./2016-17/27 दिनांक 04.10.2016 में अंकित किया कि मूल पत्रावली संख्या 45/2062 दिनांक 22.03.2006 कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं।

ग्राम पंचायत आरजिया की पत्रावली संख्या 42 संवत् 2007 दिनांकित 10.01.2004 एवं पत्रावली संख्या 45 संवत् 2062 दिनांकित 22.03.2006 की मूल पत्रावली अथवा पत्रावली की प्रमाणित प्रति के अभाव में गैर निगराकार संख्या 01 के नाम जारी पट्टे के विधि विरुद्ध होने के संबंध में विवेचन नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है। अतएव -

### आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत आरजिया पत्रावली संख्या 45 संवत् 2062 में दिनांक 22.03.2006 के संबंध में निगराकार द्वारा पुष्ट दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से निगराकार की निगरानी अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत आरजिया पंचायत समिति सुवाणा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18-1-21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार)  
अति. जिला कलेक्टर  
भीलवाडा